भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3856

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

गैर-कानूनी उधारदाताओं पर प्रतिबंध लगाना

3856. श्री जी. कुमार नायक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने असुक्षित उधारकर्ताओं का शोषण करने वाले गैर-कानूनी ऋणदाताओं और अविनियमित डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों के बढ़ने को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान अवैध ऋण देने वाले ऐप्स और लोन शार्क के विरुद्ध दर्ज मामलों का डेटा असुरक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उधारकर्ताओं और विशेषकर ग्रामीण और कम आय वाले समुदायों द्वारा अवैध ऋणदाताओं से धमकी, उत्पीड़न या बलप्रयोग का सामना करने के लिए विधिक संरक्षा का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में ऐप स्टोर से प्रतिबंधित या हटाए गए अवैध डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स की संख्या कितनी है और उन्हें हटाने के लिए प्रयोग किए गए मानदंड क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का गैर-कानूनी ऋण योजनाओं को संचालित करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर कठोर दंड लगाने के लिए नए विधेयक पेश करने या विद्यमान विधियों में संशोधन करने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): सरकार देश में अविनियमित डिजिटल उधार प्लेटफार्मों के परिचालन को प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य संबंधित विनियामकों/हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। आरबीआई ने दिनांक 02.09.2022 के परिपत्र के माध्यम से डिजिटल उधार पर विनियामकीय दिशानिर्देश जारी किए, जिसका उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना और डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाना है। इन दिशानिर्देशों में वसूली, डेटा की गोपनीयता और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विस्तृत प्रावधान भी हैं जो विनियमित संस्थाओं (आरई), उनके द्वारा नियुक्त उधारदात्री सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) और डिजिटल उधार देने वाले ऐप (डीएलए) के लिए अनिवार्य हैं। आरबीआई ने इसके अलावा दिनांक 30.05.2024 को विनियामकीय मानक स्थापित करने और लागू करने , नैतिक आचरण को बढ़ावा देने, बाज़ार की समग्रता सुनिश्चित करने, विवादों का समाधान करने और अपने सदस्यों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए "फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियामकीय संगठनों की "अवसंरचना" (एसआरओ-एफटी अवसंरचना) जारी की।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक सूचना के अधिगम को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियमावली, 2009 में यथा उपबंधित उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69क के अंतर्गत धोखाधड़ीपूर्ण ऋण ऐप्स सहित सूचना को अवरुद्ध करने के लिए निदेश जारी करता है।

साइबर स्पेस में उभरती हानियों जैसे गलत सूचना और डीपफेक, अविनियमित उधार प्लेटफार्म और सट्टेबाजी ऐप आदि के समाधान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिटी) ने क्रमशः दिनांक 26.12.2023 और दिनांक 15.03.2024 को दो एडवाइजरी जारी की हैं, जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 ("आईटी नियम, 2021") के अंतर्गत मध्यवर्तियों के दायित्वों को बहाल किया|

(ङ): अविनियमित उधार गतिविधियों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, आरबीआई ने डिजिटल उधार पर एक कार्यदल का गठन किया था जिसने**,** अन्य बातों के साथ-साथ**,** अविनियमित उधार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पेश करने सहित अनेकों उपाय सुझाये थे।

*****